

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केस संभार संभार सागर

1- सुरेश तनय धनीराम विश्वकर्मा ,

2- नारायण तनय श्री कन्हैया लाल राठौर

निवासी- वार्ड नंबर 13, राहतगढ़,

तहसील राहतगढ़, जिला सागर म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

राजस्व मंडल म0

1- श्रीमति मेहरुन्निसा पत्नि अनवर उर्फ शंकर

निवासी मढ़ा मंदिर के पीछे राहतगढ़, जिला सागर म0 प्र0

2- अयूब खॉ बल्द रज्जाक मुहम्मद ,

3- श्रीमति आवदा वी पत्नि अयूब खॉ,

निवासी वार्ड नंबर 13, राहतगढ़,

तहसील राहतगढ़, जिला सागर म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्र0क0 22/बी121/2009-10 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05/07/2010 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 01 को वार्ड क्रमांक 13 राहतगढ़ में 1998 में 900 वर्ग फुट भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। जिस पर उसके द्वारा तीन कमरे बना लिये गये हैं, जिन पर अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिस वावद अनावेदिका क्रमांक एक द्वारा कब्जा दिलाये जाने वावद तहसीलदार


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी क्रमांक 867 / II / 2016

जिला - सागर

स्थान तथा दिनांक	सुरेश व अन्य वनाम मेहरुन्निसा व अन्य कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-16	<p>(1)</p> <p>1- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्र0क0 22/बी121/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 05/07/2010 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है, निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र, अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 05/07/2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।</p> <p>2- यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में ग्रहयता पर तर्क प्रस्तुत किये, बिलंब का कारण समाधानप्रद होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है।</p> <p>3- यह कि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी के साथ प्रस्तुत आलोच्य आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अनावेदिका क्रमांक 01 द्वारा एक शिकायत इस आशय की की गई कि अनावेदिका 01 को वार्ड क्रमांक 13, राहतगढ़ में 1998 में 900 वर्ग फुट भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। जिस पर उसके द्वारा तीन कमरे बना लिये गये हैं, जिन पर अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। जिस पर कब्जा प्राप्त करने वावद अनावेदिका क्रमांक एक द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहियों की गईं। अनावेदिका क्र0 01 मेहरुन्निसा द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी भूमि पर अनावेदक क्रमांक 02 व 03 द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिसमें उसके द्वारा अपने पट्टा की सीमायें भी खोलीं थीं। उभय पक्षों द्वारा एक दूसरे के बिरुद्ध सिविल वाद दायर किये थे जो कि निरस्त किये जा चुके हैं। दोनों पक्ष अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।</p> <p>4- यह कि तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई के दौरान अब्दुल समद नामक व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मेहरुन्निसा की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है, उनके द्वारा उपरोक्त भूमि कय की गई है। तथा उसके द्वारा अनावेदिका क्रमांक एक द्वारा किये गये बिक्रय पत्रों/स्टांपों की छायाप्रति भी</p>	

(2)

निगरानी क्र० 867/II/2016

अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार पटवारी द्वारा भी तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, कि अनावेदिका क्रमांक 01 ने उसे पट्टा पर प्रदत्त भूमि आवेदकगण को बिक्रय कर दी है। उसके पास भूमि नहीं बचती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जिस भूमि पर अब्दुल समद का कब्जा है, वह भूमि मेहरुन्निसा की है। इस प्रकार ना तो अनावेदकगण यह तथ्य प्रमाणित कर पाये कि मेहरुन्निसा को प्रदत्त वास्तविक भूमि कौन सी है तथा उसके द्वारा बिक्रीत भूमि कौन सी है। सीमाओं में भिन्नता के कारण विवाद है। जिसका निराकरण दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया है। तहसीलदार एवं पटवारी के प्रतिवेदन भी आपस में बिरोधाभाषी हैं। यदि पट्टा पर प्रदत्त भूमि का बिक्रय किया गया है तो फिर पट्टा ही निरस्त किये जाने योग्य है।

5- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही आलोच्य आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अनावेदकगण को जिन प्लॉटों के पट्टा प्रदान किये गये हैं वहीं वे भूमियां हैं, जिन पर आवेदकगण काबिज हैं। तब तक आवेदकगण को जो वेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरुद्ध है।

6- यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने तथा निगरानी के साथ प्रस्तुत आलोच्य आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत मैं इस बात से सहमत हूँ कि अपर कलेक्टर द्वारा ना तो आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये ना ही उन्हें प्रकरण में कहीं भी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना पाया जाता है। जबकि उन्हें वे कब्जा करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अनावेदिका को पूर्व में जो पट्टा प्रदान किया गया था उपरोक्त पट्टा भूमि उसके द्वारा मुन्ना चौरसिया को बिक्रय की जा चुकी है, जिस पर उसका पक्का मकान बन गया है। उपरोक्त तथ्य की जांच भी मुन्ना को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर की जानी थी जो नहीं की गई। मुन्ना से मकान के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत कराकर उनकी बैद्यता की जांच की जाना भी प्रकरण के निष्पक्ष निराकरण हेतु अति आवश्यक है।

7- आवेदकगण द्वारा अपनी निगरानी के साथ जो पट्टा सूचियाँ प्रस्तुत की गई हैं, उनमें एक पट्टा सूची में क्रमांक 22 पर मेहरुन वी/बाबू के नाम पर जारी किया गया है, जिस सूची को सीएमओ नगर पंचायत एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई है। दूसरा पट्टा राजीव गांधी आश्रय योजना सन 1998 की प्रस्तुत सूची में क्रमांक 69 पर अनावेदिका 01 मेहरुन्निसा /अनवार खॉ पिता कुदुउ के नाम जारी किया गया है, जो सूची

(3) निगरानी क्र० 867/II/2016

तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रमाणित हैं। दोनों सूचियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदिका क्रमांक एक द्वारा दो दो बार नाम बदलकर आवासीय पट्टा प्राप्त किये हैं, जिस कारण से उसे 1998 में जारी पट्टा निरस्त करने योग्य है, क्योंकि 1998 का पट्टा प्राप्त करने की उसे पात्रता ही नहीं थी क्योंकि वह पूर्व में पट्टा प्राप्त कर चुकी थी।

8- यह कि अनावेदिका स्वयं द्वारा यह शिकायत की गई है कि उसके पट्टा भूमि पर बने मकान पर जबरदस्ती अनावेदकगण क्रमांक 02 एवं 03 द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अनावेदिका क्रमांक एक द्वारा यह कहीं नहीं कहा के आवेदकगण ने उसके मकान या प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। उसका मुख्य बिवाद अनावेदक क्रमांक 02 एवं 03 से है। तथा उसके द्वारा भी अनावेदक क्रमांक 02 एवं 03 से कब्जा चाहा गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण कि मकानों पर कब्जा करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अपर कलेक्टर द्वारा जो पट्टा में लेख चतुर सीमाओं में आवश्यक सुधार करने का निर्देश जारी किया है, वह भी विधि विरुद्ध है, क्योंकि जब पट्टा जारी किया जाता है, उस समय पट्टा में दर्ज सीमाओं के आधार पर ही मौका पर कब्जा दिया जाता है। इतने साल बाद कब्जा के आधार पर सीमाओं में सुधार करना विधि विरुद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 05/07/2010 एवं तहसीलदार राहतगढ़ का आदेश दिनांक 17/11/2009 निरस्त करता हूँ। अपर कलेक्टर सागर को आदेशित किया जाता है कि पहिले वे इस तथ्य की जांच करें कि अनावेदिका क्रमांक एक को कितने बार पट्टा प्रदान किया गया है। यदि उसे पूर्व में आवासीय पट्टा प्रदान किया जा चुका है तो अनावेदिका क्रमांक एक 1998 में पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है, उपरोक्त तथ्य की जांच करके सभी पक्षों को सुनवाई का सुमुचित अवसर प्रदान करके विधि अनुसार निराकरण करें। यदि अनावेदिका क्रमांक एक को पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है तो 1998 की पट्टा भूमि को म० प्र० शासन में पूर्ववत दर्ज करने का आदेश पारित करें। जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक आवेदकगण को उनके द्वारा निर्मित मकानों से वेदखल न किया जावे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सभी पक्षों को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधि के सम्यक अनुक्रम में सुनवाई करके बोलता हुआ आदेश पारित किया जावे। उपरोक्तनुसार निगरानी निराकृत की जाती है, प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा०द० हो।


सदस्य

